



उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
(यूपीडा)

बोर्ड की 55वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 28.04.2020

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
■ 0522. 2307592, 2307542 4004523 फ़ैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 55वीं बैठक जो दिनांक 28.04.2020 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई का कार्यवृत्त।

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा -अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा -सदस्य/ सचिव
3. श्री समीर वर्मा, सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) -सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) -सदस्य
5. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ०प्र० शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) -सदस्य
6. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) -सदस्य
7. श्री एन०के० आदर्श, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, लि० कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) -सदस्य

G,

एजेण्डा बिन्दु-01:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.02.2020 सम्पन्न हुई 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:-

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा 54वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु-02:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.02.2020 को सम्पन्न 54वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:-

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.02.2020 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-03(I) :- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे-सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्था: बैंक ऑफ बड़ौदा से "सूक्ष्म अवधि ऋण" (ब्रिज लोन) आहरण हेतु प्रस्ताव।

कार्यवाही/निर्णय

"अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को परिचालित एजेण्डा के माध्यम से विषयान्तर्गत सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार यूपीडा द्वारा "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" का निर्माण किया जा रहा है। शासनादेश सं. 2321/77-3-19-123 एम/19 दिनांक 11 नवंबर 2019 द्वारा इस परियोजना के सिविल निर्माण हेतु रु. 7000.00 करोड़ की ऋण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में कंसोर्शियम स्थापित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसी शासनादेश में यह व्यवस्था दी गई है कि ऋण राशि के लिए "कंसोर्शियम" व्यवस्था अपनाई जाएगी तथापि ऋण की तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रारम्भ में बैंक ऑफ बड़ौदा से एकल रूप में प्रारंभिक ऋण प्राप्त किया जाएगा। भारत सरकार के निर्णयानुसार कतिपय बैंकों के विलय की प्रक्रिया एवं अन्य परिस्थितियों के कारण फाइनेंशियल क्लोजर होने और कंसोर्शियम स्थापित किए जाने में विलंब होने किन्तु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण यूपीडा की फंड हेतु तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण से बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपीडा के पक्ष में रु. 500.00 करोड़ के सूक्ष्म अवधि ऋण (Bridge Loan) का स्वीकृति पत्र सं. BR/HAZARA/2019-20/ADV/198 दिनांक 23 मार्च 2020 एवं ऋण स्वीकृति शर्तों में कतिपय संशोधनों पर पत्र सं. BR/HAZARA/2019-20/ADV/202 दिनांक 27 मार्च 2020 जारी किया है। अतः बैंक ऑफ बड़ौदा से इस प्रस्तावित ऋण को प्राप्त करने हेतु निदेशक मण्डलका अनुमोदन वांछित है। अध्यक्ष द्वारा निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों से सम्यक विचारोपरांत निम्नवत संकल्प पारित करने का अनुरोध किया जिसे 28 अप्रैल 2020 को उपरोक्तानुसार संपन्न बैठक में पारित किया गया।



RESOLVED:

- a. "That the Short Term Loan Sanction Letter No. BR/HAZARA/2019-20/ADV/198 dated 23 March 2020 and the letter No. BR/HAZARA/2019-20/ADV/202 dated 27 April 2020 from Bank of Baroda be and are taken on record and due approval be and is accorded for obtaining the Short Term Loan of Rs 500.00 crore as proposed as also the action to be taken thereupon by UPEIDA from time to time."
- b. "That the Borrowing Power of UPEIDA be enhanced by Rs 500.00 crore for enabling the loan amount of Rs 500.00 crore from Bank of Baroda for meeting the immediate requirements of UPEIDA for funds for Civil Construction Work of Bundelkhand Expressway Project and that the aforesaid borrowing from Bank of Baroda is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."
- c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised, on behalf of UPEIDA, to approach Bank of Baroda for application of loan for Land Acquisition not exceeding Rs 500.00 crore on the terms and conditions as may be specified by Bank of Baroda in their loan sanction letter and do all actions on behalf of UPEIDA as may be needed in regard to obtaining the aforementioned loan not exceeding Rs 500.00 crore from Bank of Baroda.
- d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Loan Agreement, Letter / Deed of Undertakings, ESCROW Agreement etc. to be given by UPEIDA and any other document as required by Bank of Baroda (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between Bank of Baroda and UPEIDA) in regard to the aforementioned loans. Wherever needed, Finance Controller shall be the second signatory on the documents relating to this loan.
- e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan. Wherever needed, Finance Controller shall be the second signatory on the documents relating to this loan.
- f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to approach the Government of Uttar Pradesh to seek State Government Guarantee, Letters of Comfort for providing the budgetary resources to meet the margin money requirements and shortfall in financial resources other than those from Bank of Baroda for the purpose of this loan as also for providing budgetary resources for debt servicing at any point of time during the currency of Bank Loan.
- g. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforementioned Loans also for the financial support wherever needed and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु-04(II):-“आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे” पर वर्ष 2020-21 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37एनएम-12 दिनांक 15.01.2018 (पताका 'क') द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। अतएव प्रस्तावित है कि 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2020-21 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित संशोधित टोल दरों (25 प्रतिशत की छूट सहित) को लागू किये जाने पर निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त दोनो एजेण्डा बिन्दुओं को निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों से पत्रावली परिचालन द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.04.2020 को सम्पन्न हुई 55वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.04.2020 को अनुमोदित किये गये हैं।